निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 27

12 आषाढ़ 1941 (श0)
पटना, बुधवार,
3 जुलाई 2019 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	4-9

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

———————

अधिसूचनाएं
25 जून 2019

सं0 2/सी–01–20–03/2018 गृ0आ0–5013––श्री गौतम कुमार, पुलिस निरीक्षक, (वरीयता क्रमांक–182 ''ख'') की प्रोन्नति पूर्व के विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) के द्वारा विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के कारण मुहरबंद लिफाफा में रखा गया था। विभागीय कार्यवाही में श्री कुमार को दोषमुक्त किये जाने एवं इनकी प्रोन्नति हेतु पद सुरक्षित रखे जाने के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) द्वारा की गयी ''प्रोन्नति के योग्य'' की अनुशंसा के आलोक में श्री गौतम कुमार, पुलिस निरीक्षक, (वरीयता क्रमांक–182 ''ख'') को इनसे कनीय श्री सिंधु शेखर (वरीयता क्रमांक–182 ''ग'') को पुलिस उपाधीक्षक की कोटि में विभागीय अधिसूचना सं0–933 दिनांक 29.01.2019 द्वारा दी गयी प्रोन्नति की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सविल अपील सं0–4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

3. श्री गौतम कुमार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा। प्रोन्नत पद पर पदस्थापन की अधिसूचा अलग से निर्गत किया जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा, अपर सचिव।

———————

19 जून 2019

सं0 7/सी0सी0ए0–1024/2001(खंड–II)गृ0आ0–4806––बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) की अध्याय 2 की धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या–**2405**, दिनांक **12.03.2019** के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात दिनांक **01.07.2019 से 30.09.2019** तक (एक जुलाई दो हजार उन्नीस से तीस सितम्बर दो हजार उन्नीस तक) प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

———————

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
20 जून 2019

सं0 6/अनु० 27–05/2019–**1767**––56 वीं से 59 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर वाणिज्य–कर विभाग, की अधिसूचना संख्या 7082 दिनांक 11.12.2018 के आलोक में बिहार वित्त सेवा में नियुक्त निम्नलिखित वाणिज्य–कर पदाधिकारी सम्प्रति राज्य–कर सहायक आयुक्त (परीक्ष्यमान) को उनके अभ्यावेदन के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित (60 वीं से 62 वीं) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 6747 दिनांक 20.05.2019 के अलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन स्तर–9 (रू० 53,100–1,67,800) में वरीय उपसमाहर्ता के पद पर योगदान करने हेतु बिहार वित्त सेवा के वर्तमान पद (राज्य–कर सहायक आयुक्त) से अधिसूचना निर्गमन की तिथि से विरमित किया जाता है।

क्रम सं०	नाम	जन्मतिथि	बिहार वित्त सेवा में योगदान की तिथि
1	सविता कुमारी	25.01.1986	26.12.2018
2	सोनी कुमारी	17.11.1989	26.12.2018
3	कहकशाँ	01.04.1989	26.12.2018
4	श्री अमेत विक्रम बैनामी	09.02.1987	28.12.2018
5	मीनाक्षी	17.08.1986	26.12.2018
6	श्री मनीष कुमार	25.12.1985	28.12.2018

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जनक राम, उप–सचिव।

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं

28 जून 2019

सं0 01/स्था0(ले0से0)–07/2017–5433/वि०––श्री मनीष कुमार बिहारी, बिहार वित्त सेवा कोषागार पदाधिकारी, निर्मली को स्थानातंरित करते हुए जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं0 01/स्था0(ले0से0)–07/2017–5434/वि०––श्री किशोर कुमार कामत, बिहार लेखा सेवा वरीय कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को अपने कार्यो के अतिरिक्त अगले आदेश तक निर्मली कोषागार का प्रभार दिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिव शंकर मिश्र, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 कारा / नि0को0(अधी0)–01–01 / 2017––5396

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)

संकल्प

26 जून 2019

श्री संजय कुमार चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर सम्प्रति सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के विरूद्ध उनके केन्द्रीय कारा, बक्सर में पदस्थापन काल में दिनांक 30 / 31.12.2016 की रात्रि में पाँच (05) सजायाफ्ता बंदियों की पलायन की घटना में बरती गई लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 218 दिनांक 16.01.2017 के द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, मोतिहारी निर्धारित किया गया। साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2146 दिनांक 28.04.2017 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 3748 दिनांक 14.07.2017 द्वारा श्री चौधरी को निलंबन से मुक्त करते हुए उन्हें कारा निरीक्षणालय (मुख्यालय) में प्रक्षेत्रीय सहायक कारा महानिरीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात् प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 198 दिनांक 07.01.2019 द्वारा श्री चौधरी को निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :–

" संचयात्मक प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दंड "।

4. उक्त आरोप प्रकरण में श्री चौधरी दिनांक 16.01.2017 से 13.07.2017 तक निलंबित रहें। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11 के उप नियम–5 में विहित प्रावधानों के तहत निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय लेने हेतु विभागीय ज्ञापांक 1020 दिनांक 06.02.2019 द्वारा श्री चौधरी से अभ्यावेदन की माँग की गई।

5. तद्आलोक में श्री चौधरी द्वारा अपने पत्रांक 2860 दिनांक 04.04.2019 के माध्यम से अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उन्होंने अपने अभ्यावेदन में अंकित किया है कि वे प्रासंगिक मामले में लगभग 06 महीने तक निलंबित रहे। उनका कहना है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में उनके विरूद्ध गठित 06 (छः) आरोपों में से 02 (दो) आरोप अप्रमाणित, 02 (दो) आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित एवं 02 (दो) आरोप प्रमाणित पाया है। उनका कहना है कि विभागीय कार्यवाही में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 का घोर उल्लंघन हुआ है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित अंतिम दण्डादेश नियमानुकूल नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उनके द्वारा निलंबन अवधि (दिनांक 16.01.2017 से 13.07.2017 तक) को कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

6. श्री चौधरी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके अभ्यावेदन में जो बिन्दु उठाये गये हैं, वह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि श्री चौधरी के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री चौधरी को सुनने के पश्चात् समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श के उपरान्त विधिवत् प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दण्ड अधिरोपित किया गया है। उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्डादेश को किसी प्राधिकार के द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं किया गया है। श्री चौधरी पर लगाये गये प्रशासनिक विफलता, लापरवाही एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता के गंभीर आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। इस प्रकार श्री चौधरी का निलम्बन औचित्यपूर्ण पाया गया है। अतः उनका अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं है।

7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विश्लेषणोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11 के उपनियम (7) एवं (8) के आलोक में श्री संजय कुमार चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर सम्प्रति सहायक कारा महानिरीक्षक (क्षेत्र), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के निलंबन अवधि दिनांक 16.01.2017 से 13.07.2017 तक, के संबंध में निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है:–

" निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा तथा इस अवधि की गणना पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी "।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

————————

सं0 कारा / नि0को0(अधी0)–01–13 / 2016––5397

————————

26 जून 2019

श्री सुरेश चौधरी, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सुपौल (सम्प्रति अन्य मामले में निलंबित) संलग्न शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर के विरूद्ध उनके मंडल कारा, सुपौल में पदस्थापन के दौरान दिनांक 08.10.2016 को विचाराधीन बंदी मो0 कलीम की पलायन की घटना में बरती गई लापरवाही एवं प्रशासनिक विफलता आदि के प्रतिवेदित आरोप तथा संलग्न आरोप पत्र के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4377 दिनांक 27.06.2018 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 44 / वि0जॉ0 दिनांक 13.12.2018 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित चारों आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक 377 दिनांक 14.01.2019 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री चौधरी से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री चौधरी द्वारा दिनांक 28.01.2019 को द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि पलायन स्थल का निर्माण त्रुटिपूर्ण है। इस त्रुटि के निराकरण हेतु कारा के पत्रांक 819 दिनांक 12.05.2016, पत्रांक 1130, दिनांक 24.06.2016, पत्रांक 1394 दिनांक 08.09.2016 द्वारा लिखित एवं व्यक्तिगत रूप से कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से सम्पर्क कर त्रुटि निराकरण हेतु अनुरोध किया था। साथ ही इसकी सूचना जिलाधिकारी, सुपौल एवं महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को भी दी गयी। कारा महानिरीक्षक के आदेश के आलोक में अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ एवं अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर द्वारा संयुक्त जांच की गई। उक्त जांच प्रतिवेदन में भी पलायन स्थल का निर्माण त्रुटिपूर्ण बताया गया है। उनका कहना है कि अधीक्षक के पदीय दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये गये कारा कर्मियों को उनके स्तर से निलम्बन की कार्रवाई एवं थाना में एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। आरोपित का कहना है कि उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई है। जहाँ तक सहायक अधीक्षक के आरोप–प्रत्यारोप का आरोप है, के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा सहायक अधीक्षक–सह–प्रभारी उपाधीक्षक को अपने मिनटबुक के माध्यम से कार्यों का बंटवारा कर बंदियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी निर्धारित की गई थी, जिसे निभाने में वे अक्षम साबित हुए। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक 6718 दिनांक 03.11.2016 द्वारा सहायक अधीक्षक–सह–प्रभारी उपाधीक्षक, श्रीमन् नारायण हिमांशु को दोषी पाते हुए निलम्बित किया गया। सी.सी.टी.वी. कैमरा काम नहीं करने के संबंध में आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि राज्य की काराओं में सी.सी.टी.वी. कैमरा अधिष्ठापन कार्य केन्द्रीयकृत रूप से बेल्ट्रॉन को विभाग द्वारा दिया गया है। पलायन की तिथि दिनांक 08.10.2016 तक बेल्ट्रॉन द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरा का अधिष्ठापन मंडल कारा, सुपौल में नहीं किया गया था। घटना की तिथि के बाद दिनांक 25.10.2016 को मात्र 06 सी.सी.टी.वी. कैमरा चालू किया गया। इस संबंध में विभाग को कारा के पत्रांक 1682 दिनांक 03.11.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया है। अतएव यह आरोप भी उन पर प्रमाणित नहीं होता है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उनके द्वारा अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में पूरी निष्ठा, सतर्कता एवं मुस्तैदी बरती गयी है तथा उनकी सजगता से ही बंदी को वापस पकड़ा जा सका।

4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में बंदी पलायन की उक्त घटना का कारण भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माण के क्रम में आयी संरचनात्मक त्रुटियों को बताया गया है। आरोपित पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य था कि कारा में विद्यमान इस त्रुटिपूर्ण संरचनाओं को अपने स्तर से ठीक कराने का प्रयास करते परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिस कारण बंदी कारा से पलायन करने में सफल हुआ। आरोपित पदाधिकारी को सबसे पहले छोटे और अत्यावश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। फलतः बंदी पलायन की घटना घटित हुई। आरोपित पदाधिकारी

काराधीक्षक के रूप में कारा के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी है परन्तु घटना के बाद उनके द्वारा अधीनस्थ पर आरोप–प्रत्यारोप लगाना उनकी प्रशासनिक अक्षमता एवं आपसी सामंजस्य के अभाव को परिलक्षित करता है जो कारा प्रशासन के संचालन में चूक का परिचायक है तथा यह मामले को उलझाने का प्रयास है जो एक नियंत्री पदाधिकारी के लिए प्रतिकूल है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में उल्लेख किया गया है कि मंडल कारा, सुपौल में पलायन की तिथि दिनांक 08.10.2016 तक बेल्ट्रॉन द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरा का अधिष्ठापन मंडल कारा, सुपौल में नहीं किया गया था जबकि जिला पदाधिकारी, सुपौल ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि मंडल कारा, सुपौल में सी0सी0टी0वी0 कैमरा काम नहीं कर रहा था। स्पष्ट है कि मंडल कारा, सुपौल में पूर्व से अधिष्ठापित सी0सी0टी0वी0 कैमरा को मरम्मती करा कर चालू करवाना चाहिए था जो श्री चौधरी द्वारा नहीं किया गया। कारा की संरचना आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से बंदी पलायन की घटना को आरोपित पदाधिकारी द्वारा उसका कारण बताना स्वीकार्य तर्क नहीं है। आरोपित पदाधिकारी की कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं प्रशासनिक विफलता बंदी पलायन की घटना का मूल कारण है। उनके द्वारा बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 140, 796 (i), (ii), (iii) एवं 797 (v) के विहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। **अतः आरोपित पदाधिकारी का द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार्य नहीं है।**

5. **उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि विभागीय कार्यवाही में सभी आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया है और प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध श्री चौधरी के द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अस्वीकार्य पाया गया है। अतः श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सुपौल (सम्प्रति अन्य मामले में निलंबित) संलग्न शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता हैः–**

(i) निन्दन।

(ii) दो (02) वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

————————

सं0 कारा / नि0को0(अधी0)–01–01 / 2016––5283

————————

24 जून 2019

श्री राधे श्याम सुमन, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, जहानाबाद के विरूद्ध मंडल कारा, सीवान के काराधीन बंदी मो0 शहाबुद्दीन से नियम विरूद्ध अनधिकृत रूप से मुलाकात कराये जाने, प्रावधान के विपरीत कारा के अन्दर प्रतिबंधित सामग्रियों का प्रवेश कराने, मुलाकातियों की तलाशी में शिथिलता बरतने, बिहार कारा हस्तक के प्रावधानों का उल्लंघन करने एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1849 दिनांक 26.03.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 3195 दिनांक 20.12.2016 से प्राप्त आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, सारण प्रमंडल, छपरा के जाँच प्रतिवेदन में श्री सुमन के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित पाँच (05) आरोपों में से आरोप संख्या–01 को अप्रत्यक्ष / आंशिक रूप से तथा आरोप संख्या–02, 03, 05 को अप्रमाणित एवं आरोप संख्या–04 को प्रमाणित पाया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक 953 दिनांक 02.03.2017 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री सुमन से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सुमन द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री सुमन के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया :–

(i) तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड।

(ii) देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन (03) वर्षों की रोक का दंड।

4. **उपर्युक्त विनिश्चयी दंड "तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड " के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 2266 दिनांक 05.05.2017 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 884 दिनांक 18.07.2017 द्वारा संसूचित किया गया है कि प्रस्तावित दण्ड " देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन (03) वर्षों की रोक " का दण्ड वृहत् दण्ड की श्रेणी में नहीं आता है, फलतः इस पर विभागीय स्तर पर ही निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त " तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने " संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।**

5. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4414 दिनांक 09.08.2017 द्वारा श्री राधे श्याम सुमन, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया :–

(i) तीन वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड।

(ii) देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन (03) वर्षों की रोक का दंड।

6. श्री सुमन द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4414 दिनांक 09.08.2017 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि श्री सुमन के द्वारा समर्पित अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 06.03.2016 को बंदी मो0 शहाबुद्दीन से काबीना मंत्री श्री अब्दुल गफुर के कारा में मुलाकात किये जाने की घटना से संबंधित दिनांक 08.03.2016 को विभिन्न समाचार चैनलों में प्रसारित समाचार के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सीवान एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सीवान सदर द्वारा संयुक्त रूप से जांच कर जांच प्रतिवेदन ज्ञापांक 01 दिनांक 08.03.2016 जिला पदाधिकारी, सीवान को समर्पित किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन में जांच के कतिपय प्रतिवेदित बिन्दुओं में उनके विरूद्ध कुछ नहीं पाया गया।

श्री सुमन का कहना है कि उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में उनके विरूद्ध गठित 05 आरोपों में आरोप संख्या 02, 03 एवं 05 को प्रमाणित नहीं पाया गया एवं आरोप संख्या–01 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या–04 को प्रमाणित पाया गया। आरोप संख्या–01 के आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने के संबंध में श्री सुमन का कहना है कि कारा गेट पंजी सुरक्षाकर्मी/तृतीय/चतुर्थ वर्गीय कारा कर्मियों के पास रहता है तथा काराधीक्षक के लिए जेल गेट पंजी में प्रविष्टि की जांच तुरन्त किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार जेल गेट पंजी में गलत प्रविष्टि किये जाने के लिए उनके अधीनस्थ दोषी है न कि वे। संयुक्त जांच दल के दिनांक 08.03.2016 को समर्पित जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट वर्णित है कि कारा उपाधीक्षक द्वारा आगन्तुकों से बंदी के मुलाकात कराये जाने की अनुशंसा के आलोक में ही उनके द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम–310 के प्रावधानानुसार काराधीक्षक को बंदी से मुलाकात/साक्षात्कार कराये जाने की अनुमति देने की शक्ति अंतर्निहित है। मुलाकात के पूर्व एवं बाद में बंदी तथा मुलाकाती की जांच कराया जाना कारा हस्तक के नियम–312 के तहत उपाधीक्षक का दायित्व है। आरोप संख्या–04 के प्रमाणित पाये जाने के संबंध में श्री सुमन का कहना है कि यह न्याय व नियम के विरूद्ध है। कारा हस्तक के अनुसार काराधीक्षक कारा का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है एवं सभी कार्य उसके पर्यवेक्षण में सम्पन्न होते है। जब उनके अधीनस्थ मुलाकात कराये जाने हेतु अनुशंसा उनके समक्ष की थी ; इसका तात्पर्य यह है कि उनके अधीनस्थ द्वारा कारा हस्तक नियम–310 के तहत गेट रजिस्टर में नियमानुसार प्रविष्टि किये होगे तथा 311 के तहत मुलाकात से पूर्व एवं बाद में नियमानुसार बंदी एवं मुलाकाती की जांच किये होंगे। परन्तु इसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया तथा दण्डित किया गया। उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड आधिक्य है। अतः उन्होंने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को स्वीकार कर सुनवाई किये जाने का अनुरोध करते हुए उक्त दण्डादेश को खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

7. श्री सुमन के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि कारा निरीक्षणालय द्वारा गठित आरोप पत्र में अंकित घटनाओं को श्री सुमन द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में स्वीकार किया गया है परन्तु उनके द्वारा आरोप पत्र में अंकित घटनाओं के लिए बिहार कारा हस्तक–2012 के विभिन्न नियमों का उल्लेख करते हुए केवल अपने अधीनस्थ कर्मियों को जिम्मेवार ठहराया गया है एवं स्वयं को इसके लिए जिम्मेवार नहीं होने का दावा किया गया है। कारा एक अति संवेदनशील स्थान है, जहाँ विभिन्न प्रकार के बंदियों को संसीमित रखा जाता है। बंदियों की सुरक्षा एवं अभिरक्षा से संबंधित सम्पूर्ण कार्यों के नियंत्रण में काराधीक्षक होते हैं। बिहार कारा हस्तक–2012 के नियम–796 (i) एवं (ii) के प्रावधान के अनुसार काराधीक्षक कारा के सम्पूर्ण प्रशासन के नियंत्रक हैं एवं वे कारा की सुरक्षा एवं बंदियों की अभिरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जवाबदेह हैं।

प्रश्नगत मामले में मंडल कारा, सीवान में संसीमित बंदी मो0 शहाबुद्दीन की सुरक्षा विशेष महत्व की है एवं इस मामले में मुलाकाती भी विशेष हैसियत प्राप्त संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति थे। ऐसे में मुलाकाती को प्रश्नगत बंदी से मुलाकात करने संबंधी आदेश के साथ गेट रजिस्टर में उसकी समुचित प्रविष्टि तथा कारा के अन्दर विनिषिद्ध सामग्री का प्रवेश नहीं हो इसे सुनिश्चित करने का दायित्व श्री सुमन का था। श्री सुमन द्वारा अपने इस दायित्व का निवर्हन नहीं किया गया। फलतः कारा के अन्दर मुलाकाती द्वारा विनिषिद्ध सामग्री ले जाई गई एवं बाद में सोशल मीडिया पर कारा के अंदर का विडियो वारयल हो गया। श्री सुमन के कर्तव्य की इस लापरवाही एवं गंभीर सुरक्षा चूक से बड़ी अनहोनी हो सकती थी।

श्री सुमन द्वारा अपने दायित्वों के निर्वह्न में बरती गयी लापरवाही की गंभीरता, संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष तथा बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श के उपरांत समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें ***"तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड एवं देय तिथि से प्रोन्नति पर तीन (03) वर्षो की रोक का दंड"*** का दंड दिया गया है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि श्री सुमन को दिया गया दण्ड अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के लिहाज से पूर्णतः उचित है। पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उनके द्वारा बचाव अभिकथन में पूर्व में उल्लिखित बातों से भिन्न कोई नई बात अंकित नहीं है। अतः श्री राधे श्याम सुमन, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, जहानाबाद के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है एवं इसे अस्वीकृत किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

सं0 कारा/नि0को0(विविध)–10–22/2015––5395

————————

26 जून 2019

श्री जितेन्द्र कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के विरूद्ध उनके विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में पदस्थापन अवधि में दवा क्रय करने में वित्तीय अनियमितता बरतने तथा उनके शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में पदस्थापन के दौरान जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा उनके विरूद्ध कर्त्तव्य में लापरवाही एवं विभागीय प्रावधानों का उल्लंघन करने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3815 दिनांक 24.06.2016 द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबनावस्था में केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ में संलग्न किया गया। साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7140 दिनांक 28.11.2016 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. विभागीय जांच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक 315 अनु0 दिनांक 27.03.2018 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित कुल ग्यारह (11) आरोपों में से दो (02) आरोपों को प्रमाणित, तीन (03) आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा छः (06) आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक 2635 दिनांक 26.04.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। तद्आलोक में श्री कुमार द्वारा अपने पत्रांक 01 दिनांक 07.05.2018 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया :–

'' दो (02) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड ''।

4. **उपर्युक्त विनिश्चयी दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 6607 दिनांक 14.09.2018 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2624 दिनांक 31.12.2018 द्वारा दंड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गई।**

5. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 106 दिनांक 04.01.2019 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया :–

'' दो (02) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड ''।

6. श्री कुमार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 106 दिनांक 04.01.2019 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि दवा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए तैयार विपत्र पर कारापाल, श्री रामचन्द्र महतो द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के कारण उसकी निकासी नहीं की जा सकी। दवाओं के अधिक क्रय के संबंध में श्री कुमार का कहना है कि यह सिविल सर्जन एवं कारा चिकित्सक द्वारा तैयार इन्डेंट के आधार पर किया जाता है। बंदी राईटर के वर्दी में नहीं होने के संबंध में श्री कुमार का कहना है कि उक्त बंदी को अन्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया एवं औपचारिक चेतावनी भी दे दी गयी। उक्त कैदी के वस्त्र के संबंध में उन्हें किसी अधीनस्थ द्वारा पूर्व में सूचना नहीं दी गयी थी। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण की तिथि 25.12.2015 को अत्यंत ठंड के कारण बंदी निर्धारित वर्दी के बदले गर्म कपड़ा पहने हुए था। श्री कुमार द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि कारा के अंदर किसी प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश रोकने एवं कोई प्रतिबंधित कार्य नहीं होने देने का मुख्य दायित्व कक्षपाल/उच्च कक्षपाल का होता है। उनके लिए यह संभव नहीं था कि वह हर समय प्रत्येक पदाधिकारी/कर्मी के साथ रहकर उनके कार्यों की निगरानी कर सके। श्री कुमार द्वारा भंडार में उपलब्ध सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में अंकित किया गया है कि उनके द्वारा जिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन कर आपूर्तिकर्त्ता के विपत्र की 50% की राशि काटकर भुगतान किया गया है।

7. श्री कुमार के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार द्वारा न तो श्री महतो के विरूद्ध आरोप गठित कर कार्रवाई का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया और न ही विपत्र में यदि कोई त्रुटि थी तो उसके निराकरण की कार्रवाई की गयी। अपने अधीनस्थों को मनमानी करने से रोकने एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में श्री कुमार पूर्णतः विफल रहे। श्री कुमार द्वारा पूर्व के वर्षों में दवा की खपत को ध्यान में रखकर दवा का आपूर्ति आदेश निर्गत किया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। कारा कार्यालय में राईटर के रूप में कार्यरत बंदी के वर्दी के संबंध में अधीनस्थ पदाधिकारी की सूचना पर निर्भर रहने का श्री कुमार का कथन उनकी असजगता का परिचायक है। किसी बंदी द्वारा ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं करना बिहार कारा हस्तक के नियम–390 (xxxi) के अनुसार कारा अपराध है जिसे रोकने एवं उसपर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी श्री कुमार की थी, जिसे उनके द्वारा

नहीं किया गया। श्री कुमार को जिलाधिकारी द्वारा वार्ड प्रभारी एम.पी. सिद्दकी के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया था जिसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया तथा इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया है। भंडारपाल से स्पष्टीकरण पूछकर अपने मंतव्य के साथ जिलाधिकारी को प्रतिवेदित करने संबंधी आदेश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में श्री कुमार द्वारा अपने पुनर्विलोकन आवेदन में कुछ नहीं कहा गया है।

श्री जितेन्द्र कुमार के विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर एवं शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में विभिन्न अवधि में पदस्थापन के दौरान कई गंभीर आरोप संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा **"दो (02) वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड"** दिया गया है।

8. **संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गए प्रत्येक आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त कर समेकित रूप से उन्हें दिया गया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः श्री जितेन्द्र कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर सम्प्रति अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।**

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15–571+10–डी0टी0पी0।
Website : http://egazette.bih.nic.in